न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 56/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा

दायरा दिनांकः 11.5.2017

अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. रमेशचंद्र दत्तक पुत्र मोतीलाल जाति गुंसाई निवासी ग्राम छजावा तहसील अटरू जिला बांरा।
2. श्रीमती गुड्डीबाई पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति मीणा निवासी ग्राम मूण्डला बिसौती तहसील अटरू जिला बांरा।
3. श्रीमती प्रीतमबाई पत्नी महेन्द्र कुमार जाति मीणा निवासी ग्राम मूंडला बिसौती तहसील अटरू जिला बांरा।

... अपीलाट्स

बनाम

1. ओमप्रकाश आत्मज लक्ष्मीनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बराना हाल निवासी 241 महावीर नगर सैकण्ड कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री विद्याशंकर गोस्वामी अभिभाषक अपीलाट्स
श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पो.. कम–1

:::निर्णय:::

दिनांक 22.3.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर बांरा (राजस्थान) (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 5/16 अन्तर्गत धारा 75 ले0 रेवेन्यू एक्ट बउनवान ओमप्रकाश बनाम रमेशचन्द्र आदि मे पारित निर्णय दिनांक 20.2.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बराना हाल निवासी 241 महावीर नगर द्वितीय कोटा द्वारा तहसीलदार बारां के आदेश दिनांक 29.7.22015 व आदेश की पालना मे गोदपुत्र के आधार पर तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 658 दिनांक 11.9.2015 ग्राम बराना से अप्रसन्न होकर अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश कर निवेदन किया कि सक्षम न्यायालय द्वारा उत्तराधिकारी होने की घोषणा की डिक्री के बिना ही रमेशचन्द्र को वल्दियतहीन खातेदार मोती का दत्तक पुत्र बिना किसी रजिस्टर्ड गोदनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के दत्तक पुत्र मानकर उक्त नामान्तरकरण आदेश पारित किया गया है जो उत्तराधिकार प्रावधानो के विपरीत एवं नियमो से असंगत एवं अवैधानिक होने से निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिनांक 21.7.2015, 29.7.2015 एवं आदेश की पालना मे तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 658 दिनांक

1.9.2015 वाके ग्राम बराना निरस्त कर प्रकरण मृतक मोती की वल्दियत आदि की जांच व वसीयतनामा, गोदनामा तहरीर है या नही आदि तथ्यो को सिद्ध करते हुये प्रकरण मे प्रभावित पक्षकारान की विधिवत सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रमाणित होने के पश्चात वैधानिक वारिस के नाम उक्त आराजी दर्ज की जावे। यदि कोई वैधानिक वारिस होना नही पाया जाता है तो उक्त वर्णित आराजी ख0 नं0 342 रकबा 1.90 है0 ग्राम बराना को राज. राजगामी सम्पत्ति अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार सिवायचक दर्ज करने हेतु तहसीलदार बारां को निर्णय दिनांक 20.2.2017 से प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी रमेशचन्द्र द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अपीलांट मोती के सगे भाई मिश्रीलाल जी का पुत्र है अतः अपीलांट मोती जी का सगा भतीजा है अपीलांट को बचपन से ही मोती जी व उनकी पत्नी ने गोद लिया था ऐसी स्थिति मे अपीलांट गोदपुत्र एवं मृतक मोती के भाई का पुत्र होने से मोती जी का उत्तराधिकारी है इस तथ्य को अपीलांट द्वारा प्रमाणित कर दिया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गोर किये ही जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है। खातेदार मोती जी के खाते की दीगर आराजी वाके ग्राम चरडाना, छजावा तहसील अटरू की गोदपुत्र होने से अपीलांट के खाते दर्ज हो चुकी है। तहसीलदार बांरा की रिपोर्ट से भी अपीलांट का स्व0 मोती जी का गोदपुत्र होने की पुष्टि होती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शहादत को एप्रिशियेट किये बिना ही जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अपील विषयक आराजी मे रेस्पो0 क्रम–1 का हक एवं अधिकार व हित निहित नही है अतः उत्तराधिकारी नही होने से खातेदार मोती के फोती नामान्तरकरण को चेलेन्ज करने का कोई अधिकार नही है तथा ना ही रेस्पो0 क्रम–1 उक्त नामान्तरकरण से व्यथित पक्षकार है ऐसी स्थिति मे उसे अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नही था इस आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त होने योग्य है। रेस्पो0 क्रम–1 नामान्तरकरण की कार्यवाही मे पक्षकार नही था। प्रथम अपीलीय न्यायालय मे उसके द्वारा अपील प्रस्तुत करने के लिये धारा 96 सीपीसी के अन्तर्गत अनुमति नही ली गई थी इस कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय मे रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य थी। अपीलांट क्रम–1 उक्त भूमि का खातेदार टीनेन्ट था अपीलांट क्रम–1 ने उक्त भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.3.2016 को अपीलांट नं0 2 व 3 को बेचान कर दिया था जो अपीलांट नं0 2 व 3 के खाते दर्ज हो चुकी है इस आधार पर अपीलांट नं0 2 व 3 अधीनस्थ न्यायालय मे आवश्यक पक्षकार थे जिन्हे पक्षकार बनाये बिना ही प्रथम अपीलीय न्यायालय मे प्रस्तुत अपील पोषणीय नही थी जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्वीकार कर हुक्म जेरअपील पारित करने मे त्रुटि की है। अपील विषयक आराजी का रेस्पो0 क्रम–1 ने उपजिला कलक्टर बारां के न्यायालय मे नियमित वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमे रेस्पो0 क्रम–1 के हक हकूको का निर्धारण होगा। अपीलांट क्रम–2 व 3 हुकम जेरअपील से व्यथित पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत कर रहे है अतः अपील पेश करने की इजाजत फरमाई जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर हुक्म जेरअपील निरस्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय तहसीलदार बारां द्वारा पारित आदेश नामान्तरकरण सं0 658 दिनांक 11.9.2015 यथावत रखा जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्याया0 का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को तथा प्रकट किया अपीलांट खातेदार मोती पुत्र चंदनमल के भाई का पुत्र होने से स्व0 मोती का भतीजा है। मोती जी एंव उनकी पत्नी ने अपीलांट को बचपन मे गोद ले लिया था अतः अपीलांट मोती का उत्तराधिकारी एवं गोदपुत्र होने से स्व0 मोती जी खाते की आराजी का नामा0 सं0 658 दिनांक 11.9.2015 अपीलांट के नाम तस्दीक किया गया था। मोती जी के नाम तहसील अटरू के अन्य गावो मे दर्ज भूमि के तस्दीक किये गये फौती नामा0 को रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा चेलेन्ज नही किया गया। मोती जी की आराजी मे रेस्पो0 क्रम–1 का हक एवं अधिकार तथा हित निहित नही है अतः उत्तराधिकारी नही होने से खातेदार मोती के फोती नामान्तरकरण को चेलेन्ज करने का इन्हे कोई अधिकार नही है तथा ना ही रेस्पो0 क्रम–1 उक्त नामान्तरकरण से व्यथित पक्षकार है ऐसी स्थिति मे उसे प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नही था। बहस मे आगे बताया

कि रेस्पो0 कम–1 नामान्तरकरण की कार्यवाही मे पक्षकार नही था। उसके द्वारा अपील प्रस्तुत करने के लिये धारा 96 सीपीसी के अन्तर्गत अनुमति नही ली गई थी इस कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय मे रेस्पो0 कम–1 द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य थी। अपीलांट कम–1 खातेदार टीनेन्ट ने उक्त भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.3.2016 को अपीलांट नं0 2 व 3 को बेचान कर दिया था जो अपीलांट नं0 2 व 3 के खाते दर्ज हो चुकी है इस आधार पर अपीलांट नं0 2 व 3 अधीनस्थ न्यायालय मे आवश्यक पक्षकार थे जिन्हे पक्षकार बनाये बिना ही प्रथम अपीलीय न्यायालय मे प्रस्तुत अपील पोषणीय नही थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गोर किये बिना रेस्पो0 कम–1 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर हुक्म जेरअपील पारित करने मे त्रुटि की है। अपील विषयक आराजी का रेस्पो0 कम–1 ने उपजिला कलक्टर बारां के न्यायालय मे नियमित वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमे रेस्पो0 कम–1 के हक हकूको का निर्धारण होगा। अतः अपील स्वीकार की जाकर हुक्म जेरअपील अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 1965 पेज 393, आरबीजे (6)1969 पेज 192, आरबीजे (9) 2002 पेज 601, आरआरटी 2017 (1) पेज 633 आरआरडी–14.6.2010 पेज 392, आरआरडी जून 2008 पेज 383 का न्यायिक उद्धरण पेश किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम–1 ने बहस मे प्रकट किया कि मोती के खाते ग्राम बराना मे अवस्थित आराजी ख0 नं0 342 रकबा 1.90 है0 का फौती नामान्तरकरण मात्र तहसीलदार अटरू की जाच, तथात्मक रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट कम 1 के नाम दर्ज किया गया जो त्रुटि पूर्ण था क्योंकि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व परीक्षण न्यायालय तहसीलदार बांरा ने इस तथ्य की जांच नही की कि मृतक मोती कौन है उसकी शकूनत व वल्दियत क्या है, उसके वैधानिक वारिस कौन है। उक्त आराजी किस प्रकार से मोती पुत्र चंदन की है। पूर्व राजस्व रिकार्ड मे मोती की वल्दियत अंकित है या नही उक्त आराजी वास्तविक रूप से किस मोती की है तथा उस पर कौन काबिज काश्त है। अपीलांट मोती का पुत्र किस प्रकार से है, वसीयत रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड गोदनामा है अथवा नही। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो0 कम–1 द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर नामा0 सं0 658 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड करने मे कोई त्रुटि नही की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम–1 ने अपने पक्ष समर्थन मे आरआरटी 2012 (2) पेज 1412, आरआरटी 2017 (2) पेज 745, आरआरटी 2009 (2) पेज 816, आरआरटी 2008 (1) पेज 376 का न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणो पर गोर किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत अपील, प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी बावत अपीलांट कम सं0 2 व 3 को अपील पेश करने की अनुमति दी जाने के साथ प्रस्तुत की है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का अवलोकन कर प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात पर गौर किया प्रकरण मे अपीलांट कम–2 व 3 व्यथित पक्षकार होने व प्रथम दृष्टया विवादित आराजी मे हित निहित होना प्रकट होता है अतः प्रार्थना पत्र बावत अपील पेश करने की इजाजत स्वीकार किया जाता है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख, राजस्व रिकार्ड, रिपोर्ट तहसीलदार (भू.अ.) बारां दिनांक 29.7.15 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रमेशचन्द्र स्व0 मोती जाति गुसांई द्वारा ख0 नं0 342 रकबा 1.90 है0 के खातेदार मोती की मृत्यु दिनांक 24.3.87 को हो जाने पर उसकी विरासत का नामा0 दर्ज करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर ग्रामवासियों व ग्राम छजावा के नामा0 सं0 34 दिनांक 15.2.94 के अनुसार मोती ने रमेशचंद को गोद लिया जाना प्रमाणित होने पर मृतक मोती के स्थान पर दत्तक पुत्र रमेशचन्द्र का नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के दिये गये तथा आदेश की पालना मे विवादित नामान्तरकरण संख्या 658 दिनांक 11.9.2015 वाकै ग्राम बराना तस्दीक किया गया था जिसको ओमप्रकाश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे चुनोती दिये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिनांक 21.7.2015, 29.7.2015 एवं

आदेश की पालना मे तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 658 दिनांक 11.9.2015 वाके ग्राम बराना निरस्त कर प्रकरण मृतक मोती की वल्दियत आदि की जांच व वसीयतनामा, गोदनामा तहरीर है या नही आदि तथ्यो को सिद्ध करते हुये प्रकरण मे प्रभावित पक्षकारान की विधिवत सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रमाणित होने के पश्चात वैधानिक वारिस के नाम उक्त आराजी दर्ज की जावे। यदि कोई वैधानिक वारिस होना नही पाया जाता है तो उक्त वर्णित आराजी ख0 नं0 342 रकबा 1.90 है0 ग्राम बराना को राज. राजगामी सम्पत्ति अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार सिवायचक दर्ज करने हेतु तहसीलदार बारां को निर्णय दिनांक 20.2.2017 से प्रतिप्रेषित किया गया। है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नही किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपीलांट ओमप्रकाश उक्त नामा0 से किस प्रकार व्यथित पक्षकार था तथा उसका विवादित आराजी मे किस प्रकार हित निहित था, उसका लोकस स्टेण्डाई था अथवा नही इस तथ्य पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जेरअपील निर्णय मे अपना कोई अभिमत प्रकट नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि ओमप्रकाश द्वारा विवादित आराजी के बावत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांरा मे नियमित वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92–ए, 188 आरटीए का रमेशचन्द्र, गुड्डीबाई , प्रीतमबाई, चतुर्भुज, मोती आदि के विरूद्ध पेश किया हुवा है जिसमे वादी ओमप्रकाश के हक हकूको का निर्धारण होगा। जबकि प्रथम अपीलीय न्यायालय मे ओमप्रकाश द्वारा अपील गुड्डीबाई अपीलांट क्रम–2 व प्रीतमबाई अपीलांट क्रम– 3 को पक्षकार बनाये बिना पेश की गई थी जो कानूनन पोषणीय नही थी। उक्त तथ्यो पर गोर किये बिना जेरअपील निर्णय दिनांक 20.2.2017 पारित कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि किया जाना प्रकट है। यहां यह तथ्य भी विवेचनीय है कि नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही मे स्वत्व का निर्धारण नही किया जाता। विवादित आराजी के बावत स्वत्व का निर्धारण पक्षकारान के मध्य जेरकार उक्त विवेचित नियमित वाद मे ही तय किये जायेगे। ऐसी स्थिति मे हम प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.2.2017 को न्यायोचित नही पाते है। उक्त विवेचित तथ्यो के आलोक मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 20.2.2017 अपास्त किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रकरण संख्या 5/16 अन्तर्गत धारा 75 ले0 रेवेन्यू एक्ट बउनवान ओमप्रकाश बनाम रमेशचन्द्र आदि मे पारित निर्णय दिनांक 20.2.2017 अपास्त किया जाता है। व नामा0 सं0 658 दिनांक 11.9.2015 वाके ग्राम बराना को यथावत रखा जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 22.3.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा